दिनाक 10.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 10/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 04 लाख 20 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.06.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बन्धा रोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–मोनू 2–काशी 3–रोमियों कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 04 लाख 20 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.05.2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोनू निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार।

2–काशी निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार।

3–रोमियों कुमार निवासी नया टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार।

बरामदगी

1–लूट के 04 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेड़ी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन**
- **03 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित व 04 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 09.06.2022 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भगवानपुर रोड हाईवे फ्लाई ओवर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अनुज 2–हनी 3–अनिल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन, 03 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित व 04 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2022 को थाना गागलहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी

पर मु0अ0सं0 227/2022 धारा 392/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से बरामद रूपये आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुज निवासी पीतल नगरी कमला बिहार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

2–हनी निवासी पीतल नगरी कमला बिहार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

3–अनिल निवासी ग्राम बघई थाना गरखा जनपद छपरा(बिहार)।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन।

3–03 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित व 04 खोखा कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना केराकत

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन, 05 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित व 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 09.06.2022 की रात्रि थाना केराकत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान बेलाव पुल घाट के पास

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—कमर हसन उर्फ रसीद उर्फ नेता सहित अभियुक्त 2—शैलेन्द्र उर्फ एस0पी0 यादव घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन, 05 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित व 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमे अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ एस0पी0 यादव के विरूद्ध जनपद जौनपुर, आजमगढ़ के विभिन्न थानो पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के 26 अभियोग व अभियुक्त कमर हसन उर्फ रसीद उर्फ नेता के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमर हसन उर्फ रसीद उर्फ नेता जनपद आजमगढ़ से वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना केराकत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शैलेन्द्र उर्फ एस0पी0 यादव निवासी कटका थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर।

2—कमर हसन उर्फ रसीद उर्फ नेता निवासी परसहाँ कयामुद्दीनपट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन, 05 जीवित कारतूस।

2—01 अवैध तमंचा, 02 जीवित व 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—01 मोटरसाइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना कासना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 112 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 09.06.2022 को थाना कासना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के साईट–5 गेट नम्बर–02 के पास से 04 अभियुक्तों 1–आनन्द 2–हीरा 3–संजीव 4–घनश्याम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 112 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.05.2022 को थाना कासना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कासना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कासना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आनन्द निवासी नत्थापुरा झोरियां थाना पिनाहट जनपद आगरा।

2–हीरा निवासी नत्थापुरा झोरियां थाना पिनाहट जनपद आगरा।

3–संजीव निवासी जेवर खादर मढैया थाना जेवर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–घनश्याम निवासी नत्थापुरा झोरियां थाना पिनाहट जनपद आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 112 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का ट्रैक्टर वाहन व ट्राली**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 10.06.2022 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत बांसी रोड पर हर्दिया के पास ग्राम बरगदवा में बदमाशों की घेराबन्दी की गई, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–देवेश उर्फ नारायण घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आत्मा साहनी, 3–कन्हैया उर्फ वकील सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का ट्रैक्टर वाहन व ट्राली, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमे अभियुक्त देवेश उर्फ नारायण के विरूद्ध जनपद, संतकबीरनगर, बस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त आत्मा साहनी उर्फ अमित के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग व अभियुक्त कन्हैया उर्फ वकील के विरूद्ध जनपद बस्ती विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–देवेश उर्फ नारायण निवासी ग्राम भलेद्री नगमा थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

2–आत्मा साहनी निवासी ग्राम जौहरी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

3–कन्हैया उर्फ वकील निवासी ग्राम सिंगापुर अयोध्या थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी का ट्रैक्टर वाहन व ट्राली।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल।

3–02 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना शमसाबाद</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का आटो वाहन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आटो वाहन**
- **02 नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 10.06.2022 को थाना शमसाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान हजियापुर चौराहा के पास 03 अभियुक्तों 1–नागेश उर्फ नागेन्द्र 2–आकाश 3–शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का आटो वाहन, घटना में प्रयुक्त 01 आटो वाहन, 02 नम्बर प्लेट आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.6.2022 को थाना शमसाबाद क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा हत्या सहित लूट की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आटो वाहन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना केराकत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नागेश उर्फ नागेन्द्र निवासी रजलामई थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।

2—आकाश निवासी रजलामई थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।

3—शिवम निवासी रजलामई थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—लूट की आटो वाहन।

2—घटना में प्रयुक्त 01 आटो वाहन।

3—02 नम्बर प्लेट आदि।

- **जनपद एटा/थाना सकीट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त परवेज को आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना भीमपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या—8 जनपद बलिया द्वारा थाना भीमपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376/504 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सूरजराम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना रिजोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पे0 जज ईसी एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना रिजोर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वी0पी0 सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 376/120बी/506 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद भदोही/थाना गोपीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 06–06 वर्ष के कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद भदोही पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–03 जनपद भदोही द्वारा थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लालसाहब 2–लोलारक को 06–06 वर्ष के कारावास व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर लग्जरी वाहन चोरी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व 25,000/– रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांक 10–06–2022 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर लग्जरी वाहन चोरी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य रूपये 25,000/– के पुरस्कार घोषित व वाहन चोरी के आधा दर्जन अभियोगों में वांछित अभियुक्त सरोज चौधरी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1. सरोज कुमार उर्फ सरोज चौधरी, पुत्र रामलाल चौधरी, निवासी वार्ड नं0—10 गीता घाट कालोनी, फजलगंज, थाना सासाराम नगर, जनपद रोहतास, बिहार।

बरामदगीः—

1— 01 अदद मोबाइल फोन।

2— 01 अदद आधार कार्ड।

3— 01 अदद ट्रेन का टिकट (सासाराम से प्रयागराज)।

4— नकद 870 रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

परेड मैदान बीच वाली सड़क पर पुलिया, जनपद प्रयागराज, 10.06.2022 समय 11:30 सुबह।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 10—06—2022 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम द्वारा आपराधिक अभिसूचना संकलन की जा रही थी, इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि थाना नैनी क्षेत्रान्तर्गत कई गाड़ियों की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला अन्तरप्रान्तीय गिरोह का सक्रिय सदस्य व 25,000/—रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सरोज चौधरी अपने मुकदमें की पैरवी हेतु परेड मैदान में बीच वाली सड़क पर किसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर विष्वास करके निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, आरक्षी रोहित सिंह, पंकज तिवारी, किशन चन्द्र, सुनील कुमार व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा मुखबिर के बताए

स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को एस0टी0एफ0 की व्यावसयिक दक्षता का उपयोग कर समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सरोज चौधरी उपरोक्त ने बताया कि राकेश नट, नरेन्द्र प्रसाद, रितिक श्रीवास्तव, रंजन श्रीवास्तव, प्रमोद चौधरी, अमन आदि का लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने का एक संगठित गिरोह है। गिरोह द्वारा पहले हम लोग कालोनियों में घूम—घमकर गाड़ियों की रैकी करते है। रात्रि में सन्नाटा हो जाने पर पेचकस के सहारे वाहन का शीशा तोड़ कर गाड़ी के अन्दर घुसकर चुम्बक के सहारे स्टेयरिंग फ्री कर देते है। इग्नीशन सिस्टम को खोलकर उसके तार को डिवाइस से जोड़ देते है तथा डिवाइस के सहारे सेंसर चिप को डी—कोड कर वाहन का लॉक खोल देते है, फिर गाड़ी लेकर चले जाते है। चोरी की गाड़ियों को हम लोगों द्वारा बिहार प्रान्त ले जाकर अवैध शराब, गॉजा और स्मैक के तस्करों को कम दाम में बेंच देते है। गाड़ियों को बेचने के बाद जो रूपये मिलते है उसे आपस में बांट कर अपने ऐशो—आराम में खर्च करते है। गिरफ्तार अभियुक्त सरोज चौधरी उपरोक्त वाहन चोरी में जनपद के अन्य और मुकदमों तथा जनपद सोनभद्र में भी वाहन चोरी के मुकदमों में वांछित होने की बात संज्ञान में आयी है, जिसकी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना नैनी, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2021 धारा—379 भादवि, मु0अ0सं0—113/2021 धारा—379 भादवि, मु0अ0सं0 117/2021 धारा 379/ 411/413/420 भादवि व मु0अ0सं0 1009/2020 धारा—379 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त सरोज कुमार उर्फ सरोज चौधरी का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1.	648/2020	379 भादवि	रार्बट्सगंज	सोनभद्र
2.	09/2021	379 भादवि	रार्बट्सगंज	सोनभद्र

3.	40／2021	379 भादवि	नैनी	प्रयागराज
4.	1009／2020	379 भादवि **(वांछित)**	नैनी	प्रयागराज
5.	112／2021	379 भादवि **(वांछित)**	नैनी	प्रयागराज
6.	113／2021	379 भादवि **(वांछित)**	नैनी	प्रयागराज
7.	117／2021	379／411／413／420 भादवि **(वांछित)**	नैनी	प्रयागराज

————————